न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 19/2013

1. अब्दुल पुत्र समदा
2. बदामी पुत्री समदा
3. अमीना पुत्री समदा
4. रमजानी बेवा खाजू
5. नियाज पुत्र खाजू
6. साबिर नाबालिग पुत्र खाजू बसरबराही माता रमजानी
   समस्त जाति मेहरात निवासियान धोलाधर पाटीया वाला बाडिया, लूलवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर। —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रहमान पुत्र भूरा जाति मेहरात निवासी – धोलाधर पाटीया वाला बाडिया, लूलवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा। —— **अप्रार्थीगण**

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 128 भू. रा. अ.

:– निर्णय :– दिनांक 11.06.2016

वादीगण ने इस पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा नयागांव पटवार क्षेत्र लूलवा द्वितीय भू. नि. क्षेत्र खीमपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 5268/4 रकबा 05–10–00 व 5268/2 रकबा 03–00–00 कुल किता 2 रकबा 08–10–00 बीघा वादीगण की खातेदारी की भूमियां है। इसी से लगायत खसरा न0 5268/3 रकबा 05–10–00 किस्म दांती स्थित है जो प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 अपनी खातेदारी की अराजी की आड में वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत से पत्थर, कांटे आदि डाल देता है। मना करने पर झगडा करता है। वादीगण ने पटवारी हल्का से सीमांकन भी करवाया जिसे प्रतिवादी नहीं मान रहा है। प्रतिवादी वादीगण की अराजी में बिना विधिक प्रक्रिया के आवासीय मकान, चार दिवार एवं हौज बनाने पर आमादा है इसलिए वाद लाने की आवश्यकता हुई है अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कराया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अराजियात का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाई जावे एवं नक्शे में पृथक–पृथक तरमीम कराई जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे कि प्रतिवादी स्वयं अथवा अन्य किसी के द्वारा वादीगण की अराजी में अतिक्रमण नहीं करे व करावे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वादीगण खसरा न0 5268/2 की अराजी को जवाब देहिन्दा की स्वीकारते है। इस अराजी का पानी ढाल प्रतिवादी को आवंटन समय से ही बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है जिस पर वादीगण की नजर है और वे इसे हडपना चाहते हैं और बिना वजह झगडे की जड बना रहे हैं। नाप चौप कराने एवं तरमीम कराने में प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी का मौजूदा निर्माण व भावी निर्माण उसकी अपनी अराजी पर ही है। प्रतिवादी किसी की जमीन हडपना नहीं चाहता। वादीगण प्रतिवादी की जमीन कब्जा करने की नियत से यह वाद लाये है जिस पर किसी रिलीफ के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 ने औपचारिकता वश अपना जवाब पेश किया है।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नयागांव पर पेश हुई। वाद प्रतिवाद पत्र पर जलसा–ए–आम में निम्न तनकीयत कायम की गई :–

तनकीयत 1. –आया वादीगण उनकी अराजी खसरा न0 5268/4 रकबा 05–10–00 व 5268/2 रकबा 03–00–00 का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने तथा प्रतिवादी सं0 1 की अराजी 5268/3 रकबा 05–10–00 सहित सभी खसरों के नक्शा किश्तवार में तरमीम करवाने के अधिकारी है?

तनकीयत 2. –आया वादीगण अपनी अराजी के लिए प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी हैं ?

तनकीयत 3. –आया प्रतिवादी सं0 1 अपने पानी ढाल को कायम रखवाने का अधिकारी है ?

तनकीयत 4. – अनुतोष ?

उपस्थित उभयपक्षान के अभिभाषकगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व पैरोकार प्रतिवादी सं0 2 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नयागांव (लूलवा) की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता सं0 13 व 261 की क्रमशः अराजी खसरा न0 5268/4 व 5268/2 वादीगण की खातेदारी में है तथा खाता सं0 439 का खसरा न0 5268/3 प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी में है जिसके नक्शा ट्रेस की प्रति पेश नहीं की गई है। संभवतः खसरा न0 5268 नक्शे में एक ही चक में दर्शाया गया है इसलिए वादीगण ने तरमीम एवं पत्थरगढी की रिलीफ चाही है जो जायज है अतः वाद पर कायम तनकीयत को निम्न प्रकार तय किया जाता है :–

तनकीयत 1. – इसका भार वादीगण पर रहा है और उन्होनें ग्राम नयागांव (लूलवा) की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता सं0 13 व 261 तथा 439 की प्रमाणित प्रति पेश कर बखूबी साबित किया है। वादीगण अपने वाद पर अपेक्षित रिलीफ पाने के अधिकारी पाये जाते हैं। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकीयत 2. – इसका भार वादीगण पर रहा है। वादीगण की अराजी खसरा न0 5268/4 व 5268/2 वाकै नयागांव है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध अतिक्रमण न करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। इन अराजियात में वादीगण साधिकार खातेदार है अतः स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी पाये जाते हैं। तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 तय की जाती है।

तनकीयत 3. – इसका भार प्रतिवादी सं0 1 पर रहा है। वह अराजी खसरा न0 5268/3 में खातेदार है यदि उसके पानी ढाल का निकास कोई मौके पर बनता है तो वह किस रूप में व किस ओर से है इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी सं0 1 अपने पानी ढाल के निकास को कायम रखवाने का अधिकारी है। तनकी बहक प्रतिवादी सं0 1 तय की जाती है।

तनकीयत 4. – अनुतोष ?

सभी तनकीयत के तय किये जाने पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा रु. 3000/– कमीशन पर तहसीलदार मसूदा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम नयागांव (लूलवा) स्थित वादी की अराजी खसरा न0 5268/4 व 5268/2 तथा प्रतिवादी सं0 1 की अराजी 5268/3 का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करावें तथा नक्शे किश्तवार में इन तीनों नम्बरों की पृथक–पृथक नक्शे में तरमीम करावें। पानी ढाल को सुनिश्चित करावें। प्रतिवादी सं0 1 को वादीगण की अराजी में अतिक्रमण आदि से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम नयागांव पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: